

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर**  
**Office of the Principal Accountant General (Audit-I) MP, Gwalior**

क्र./गो.क/स.प/पदो/का.आ.-489

दिनांक : 13.11.2024

**पदोन्नति आदेश /PROMOTION ORDER**

निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षक को सहायक पर्यवेक्षक (ऑडिट) के पद पर केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400) में दिनांक: 13.11.2024 अथवा कार्यग्रहण दिनांक, जो भी बाद में हो, से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है:-

The following Senior Auditor is promoted on officiating to the post of Assistant Supervisor (Audit) in pay scale (₹ 44,900-1,42,400) of Level 7 of pay Matrix under CCS (Revised pay) Rules, 2016 w.e.f. 13.11.2024 or from the date of joining in the office, whichever is later :-

| क्र. | नाम एवं स्थाई क्रमांक<br>Name and Prmtt No.                      | वर्तमान पदस्थापना का कार्यालय<br>Office of Present Posting                         |
|------|--|--|
| 1.   | श्री शुभ्र रॉय चौधरी<br>Shri. Shubra Roy Chowdhury<br>(03/11067) | कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), म.प्र भोपाल<br>O/o AG (Audit-II) MP, Bhopal |

यह पदोन्नति उक्त कर्मचारी से वरिष्ठता रखने वाले कर्मचारियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

The promotion shall have no adverse impact on rights of officials who are senior to him.

पदोन्नति के संबंध में स्वीकृति /अस्वीकृति, इस आदेश के जारी होने के सातदिन के अंदर संबंधित प्रशासन अनुभाग को सूचित करें। समयावधि में स्वीकृति प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है एवं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

The willingness/unwillingness for promotion shall be informed to the concerned Admin section within 7 days of issue of this order. If acceptance is not received within the stipulated time, it will be assumed that the promotion is not accepted and action will be taken accordingly.

उपरोक्त कर्मचारी भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ-7/1/80 -स्था./बी-1, दिनांक: 24.12.1981 के अंतर्गत अपने वेतन निर्धारण सम्बन्धी विकल्प इस आदेश के जारी होने से एक माह के अंदर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।  
Above official may submit his option regarding pay fixation in concerned Admin section within one month from the date of issue of this order in terms of Government of India letter No. F-7/1/80-Estt./B-1, date 24.12.1981.

पदोन्नति उपरांत पदस्थापना का आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।

Posting order after promotion will be issued separately.


(उपमहालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /गोपनीय कक्ष

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) म.प्र., भोपाल।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
4. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय म.ले. (लेखापरीक्षा-II) म.प्र., भोपाल।
5. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (लेखा एवं हक- प्रथम) म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
6. कल्याण अधिकारी।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-1 एवं 2, कार्यालय म.ले. (लेखापरीक्षा-II) म.प्र., भोपाल।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11,12, प्रशिक्षण/परीक्षा, ITA.
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing
10. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
11. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ, प्रशा.-14 को इंटरनेट/इन्ट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।
12. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।
13. संबंधित कर्मचारी/सूचना पटल।



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /गोपनीय कक्ष